# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

**प्रार्थना पत्र संख्या 155 / 2019**

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
शाखा– किशनगढ, जिला अजमेर (राज.)
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

..............**प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर**

**बनाम**

(1). मैसर्स श्री वन्दना फूड प्रोडक्ट प्रो. श्री गोपाल दरगड पुत्र श्री चांदमल दरगढ
(अ). पताः– खोडा, गणेश जी रोड, औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–दांता (आखरी)पोस्ट–किशनगढ, जिला अजमेर (राज.)
(ब). पताः– 12, माया रेजीडेन्सी, हाउसिंग बोर्ड के पास, ग्राम व पोस्ट– किशनगढ, जिला अजमेर (राज.)
(2). श्री प्रहलाद मूंदडा पुत्र श्री गणेशीलाल मूंदडा
पताः– प्लॉट नं0 22–ए, शास्त्री कॉलोनी, पुष्कर रोड, अजमेर, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज.)
(3). श्रीमती विमला देवी पत्नि श्री प्रहलाद मूंदडा
पताः– प्लॉट नं0 22–ए, शास्त्री कॉलोनी, पुष्कर रोड, अजमेर, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज.)

.........**अप्रार्थीगण (ऋणी)**

**प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002**

उपस्थित :– श्री सत्येन्द्र खोरानिया :– अभिभाषक प्रार्थी

**आदेश** **दिनांक 14.10.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स श्री वन्दना फूड प्रोडक्ट प्रो. श्री गोपाल दरगड पुत्र श्री चांदमल दरगढ एवं श्री प्रहलाद मूंदडा पुत्र श्री गणेशीलाल मूंदडा निवासीः– खोडा, गणेश जी रोड, औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–दांता आखरी, पोस्ट–किशनगढ, जिला अजमेर( राजस्थान) को दिनांक 23.03.2017 को रू 80,00,000/–(अक्षरे रूपये अस्सी लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर शास्त्री कॉलोनी, पुष्कर रोड, अजमेर, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज.) स्थित आवासीय सम्पत्ति प्लाट नं. 22 ए, एएमसी नं. 572–बी/44 (क्षैत्रफल 252.88 वर्गगज), जो श्री प्रहलाद मूंदडा पुत्र श्री गणेशीलाल मूंदडा एवं श्रीमती विमला देवी पत्नि श्री प्रहलाद मूंदडा के नाम से है, जिसके पूर्व में–आम रास्ता, पश्चिम–आम रास्ता, उत्तर –भूखण्ड सं. 24 का शेष भाग, दक्षिण–श्रीमती तारा देवी की सम्पत्ति है, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 08.07.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 10.07.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस ऋण खाते में रूपये 83,36,182/–(अक्षरे रूपये तैयासी लाख छत्तीस हजार एक सौ बयासी मात्र) का जारी

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति शास्त्री कॉलोनी, पुष्कर रोड, अजमेर, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज.) स्थित आवासीय सम्पत्ति प्लाट नं. 22 ए, एएमसी नं. 572–बी/44 (क्षैत्रफल 252.88 वर्गगज), जो श्री प्रहलाद मूंदडा पुत्र श्री गणेशीलाल मूंदडा एवं श्रीमती विमला देवी पत्नि श्री प्रहलाद मूंदडा के नाम से है, जिसके पूर्व में–आम रास्ता, पश्चिम–आम रास्ता, उत्तर–भूखण्ड सं. 24 का शेष भाग, दक्षिण–श्रीमती तारा देवी की सम्पत्ति है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 14.10.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner